बिहार सरकार

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख 1930 (श०)

(सं० पटना 326) पटना, मंगलवार 13 मई 2008

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

13 मई, 2008

सं०-3/एम०-48/2008/2796का०-बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा-16 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** -(1) यह नियमावली ''बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं** - इस नियमावली में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) 'निर्वाचन पदाधिकारी' से अभिप्रेत है निर्वाचन कराने के लिए प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी;

(ii) 'प्राधिकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार तथा

(iii) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) में समनुदेशित किये गये हैं।

अध्याय-2

निर्वाचन प्राधिकार की कार्य प्रक्रिया

3. **निर्वाचन प्राधिकार के कृत्य एवं शक्ति** -राज्य निर्वाचन प्राधिकार का कार्य बिहार अधिनियम 14, 2008 की धारा-4 की उप-धारा (1) के अनुसार सहकारी सोसाईटी, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति या अन्य किसी संस्था या संगठन या स्थापना या ऐसे निकायों या उनके समूह जिसके संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिश्चय करें, में प्रबंध समिति का निर्वाचन कराना होगा। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकार को मतदाता सूची का निर्माण तथा निर्वाचन संचालन हेतु पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति, प्राधिकारिता तथा अधिकारिता होगी।

4. **प्राधिकार का अध्यक्ष** -बिहार अधिनियम 14, 2008 की धारा-3 की उप-धारा (2) में यथा उपबंधित प्राधिकार की अध्यक्षता एक मुख्य चुनाव पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

5. **प्राधिकार के कार्यों का संव्यवहार**-मुख्य चुनाव पदाधिकारी को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु उतने उप-मुख्य चुनाव पदाधिकारियों की सहायता मिल सकेगी जितने कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करें।

6. **प्रशासनिक मशीनरी**- (1) प्राधिकार को राज्य सरकार ऐसे पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जैसा कि इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक हो और जैसा कि इस प्रयोजनार्थ पद सृजित किया गया हो। इसके अलावे प्राधिकार द्वारा निर्वाचन संचालन के लिए राज्य सरकार उसे आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध करायेगी।

(2) निर्वाचन संचालन के लिए निर्वाचन प्राधिकार, जिला दण्डाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या ऐसे अन्य पदाधिकारी, जैसा कि वह उचित समझे, को संस्था या संगठन या स्थापना के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदनामित कर सकेगा और निर्वाचन पदाधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक पदाधिकारियों को उप-निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदनामित कर सकेगा।

7. किसी संस्था या स्थापना या संगठन या ऐसे किसी निकायों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन के प्रयोजनार्थ प्राधिकार ऐसी संस्था या स्थापना या संगठन या अन्य निकाय के संबंध में लागू सुसंगत अधिनियम अथवा/और नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समुचित कार्रवाई करेगा। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकार को विनियमावली अथवा/और विनियमावलियाँ बनाकर और/अथवा कार्यपालक आदेश निर्गत कर व्यवस्था करने की शक्ति होगी।

अध्याय-3

प्राधिकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, अपील एवं सेवा शर्ते

8. (1) वेतनमान 5000-8000 से ऊपर के पदों के विरूद्ध पदाधिकरियों एवं कर्मचारियों की सेवा राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी। वेतनमान 5000-8000 तक के पद गैर संवर्गीय होंगे और ऐसे पदों पर नियुक्ति करने के लिए प्राधिकार सक्षम होगा। उक्त पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकार मुख्य चुनाव पदाधिकारी होगा। वेतनमान 5000-8000 तक के पदों के विरूद्ध नियुक्त कर्मी सचिवालय के किसी सेवा या संवर्ग के अंग नहीं माने जायेंगे।

(2) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये पदाधिकारी एवं कर्मचारी प्राधिकार में पदस्थापन की अवधि में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

(3) प्राधिकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्त सेवाशर्तें, अनुशासन एवं अपील आदि राज्य सरकार में इस प्रयोजनार्थ लागू नियमावलियों से शासित होंगी।

अध्याय-4

पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, शक्ति एवं अधिकारिता

9. **पर्यवेक्षक का नाम निर्देशन** - राज्य निर्वाचन प्राधिकार एक या एक से अधिक पर्यवेक्षकों का जो राज्य सरकार का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से ऊपर की कोटि एवं वेतनमान का पदाधिकारी नहीं होगा, किसी संस्था या स्थापना या संगठन या ऐसे निकायों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों पर निगरानी रखने के लिए और अन्य कृत्यों को करने के लिए जैसा कि उसे निर्वाचन प्राधिकार द्वारा सौंपा जाय, नाम निर्दिष्ट कर सकेगा:

परन्तु यह कि राज्य स्तरीय संस्थाओं या स्थापनाओं या संगठनों में निर्वाचन या निर्वाचनों के प्रसंग में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से उच्चतर कोटि के पदाधिकारी का नाम निर्देशन पर्यवेक्षक के रूप में किया जा सकेगा।

10. **पर्यवेक्षकों की शक्तियाँ एवं अधिकारिता** - (1) पर्यवेक्षक निर्वाचन के स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए समुचित पर्यवेक्षक रखेगा और निर्वाचन का संचालन के लिए प्रतिनियुक्त या कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी उसे समुचित सहयोग देंगे।

(2) नियम-9 के अधीन नामनिर्दिष्ट पर्यवेक्षक को परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना को स्थगित करने अथवा परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी को निदेशित करने की शक्ति होगी, यदि पर्यवेक्षक की राय में बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों पर या मतदान के लिए नियुक्त स्थानों पर कब्जा किया गया हो या मतों की गणना या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किन्हीं मतपत्रों या मतदान के लिए नियत स्थान पर निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा से अविधिपूर्ण तरीके से ले लिये गये हों, या दुर्घटनावश या आशयपूर्वक नष्ट कर दिये गये हो या खो गये हों या उस सीमा तक बिगाड़ दिये गये हों या छेड़-छाड़ की गयी हो कि मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा।

(3) जहां पर्यवेक्षक मतों की गणना रोकने के लिए या परिणाम घोषित नहीं करने के लिए इस नियम के अधीन निर्वाचन पदाधिकारी को निदेशित करें, वहाँ पर्यवेक्षक तत्काल राज्य निर्वाचन प्राधिकार को मामले की रिपोर्ट देगा और उस पर राज्य निर्वाचन प्राधिकार सभी तात्विक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात समुचित निदेश जारी करेगा।

स्पष्टीकरण - नियम-9 के प्रयोजनार्थ 'पर्यवेक्षक' में राज्य निर्वाचन प्राधिकार का ऐसा पदाधिकारी भी सम्मिलित होगा जिसे इस नियम के अधीन किसी संस्था या स्थापना या संगठन या निकायों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने का कर्त्तव्य राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा सौंपा गया हो।

अध्याय-5

निर्वाचन याचिका

11. **निर्वाचन याचिका**-किसी निकाय के किसी पद के निर्वाचन को सिवाय निर्वाचन याचिका के प्रश्नगत नहीं किया जायेगा:

परन्तु यदि किसी निकाय के किसी पद का निर्वाचन विवादित हो तो निर्वाचन याचिका उस प्राधिकार के समक्ष दायर होगी जैसा कि संबंधित संस्था या स्थापना या संगठन या निकाय से संबंधित अधिनियम अथवा/और नियमावली में प्रावधानित है। जहाँ ऐसा कोई प्राधिकार उपबंधित नहीं है वहाँ याचिका उस मुन्सिफ के समक्ष दायर होगी जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी संस्था या स्थापना या संगठन या निकाय अवस्थित हो।

12. **निर्वाचन याचिका का प्रार्थी प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को जोड़ेगा :-**

(क) जहां प्रार्थी ऐसी घोषणा करने के दावे के अतिरिक्त कि सभी या किन्हीं निर्वाचन अभ्यर्थियों का निर्वाचन अवैध है, अन्य घोषणा का भी दावा करता है कि स्वयं उसे या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यकरूप से निर्वाचित किया गया है, प्रार्थी के अलावा सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को और जहाँ कोई ऐसी अन्य घोषणा का दावा नहीं किया जाय तो सभी निर्वाचित अभ्यर्थी को; और

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को जिसके विरूद्ध किसी भ्रष्ट आचरण के आरोप को याचिका में लगाया गया हो।

13. **निर्वाचन याचिका दाखिल करने की फीस सहित प्रक्रिया**-निर्वाचन याचिका दाखिल करने की फीस सहित प्रक्रिया वहीं होगी जैसा कि सुसंगत अधिनियम और/अथवा नियमावली में विहित है।

परन्तु जहाँ ऐसा उपबंध प्रासंगिक अधिनियक और/अथवा नियमावली में नहीं है वहाँ ऐसी फीस एवं प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा निर्वाचन प्राधिकार के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

---

13 मई 2008

सं०-3/एम०-48/2008/2796का०-अधिसूचना संख्या 2796, दिनांक 13 मई 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।